डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 573/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट
बनवारीलाल पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. इन्दुबाला पत्नी स्व. इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ,राज0 वर्तमान पति विनोद कुमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 10 सरकारी स्कुल के पास 3 बी.एम.एम. बिरमाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर,राज0।
2. राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री हितेश शर्मा वकील–वादी
श्री रोहिताश नाई वकील प्रतिवादी सं. 1
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक– 26/3/2025

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 5 बी.डब्ल्यु.एम. के खाता संख्या 7 के पत्थर नम्बर 206/392(10) किला नम्बर 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/3, 25/4 व पत्थर नम्बर 208/391(2) किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 17, 24/1, 25/1 की 4.6430 हैक्टेयर कमाण्ड मय खाला में से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/7 हिस्सा कृषि भूमि का मुश्तर्का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/3/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.29 16:40:11 IST
Reason: SelfAttested